न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 15 / 2014 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
बजरंगसिंह पुत्र सांगसिंह जाति राजपूत निवासी नोख तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।	बनाम	राजस्थान सरकार जरिऐ श्रीमान तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 02 / 2014 बअनवान बजरंगसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध पेश हुआ।

उपस्थित

1. वकील श्री पुरूषोतम सोनी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.12.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नोख तहसील पोकरण के खेत खसरा 2006 रकबा 124.05 बीघा जो अपीलांट के पीडी पद पीडी कब्जा सुद व खातेदारी के है जिसके खातेदारी अधिकारी की घोषाण हेतु अधीनस्थ न्यायालय में इस का वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2014 को अपीलांट के दावा को दर्ज रजिस्टर कर, बाद रजिस्टर स्वयं के क्षेत्राधिकार का न होना मान कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो अपीलांट / वादी का अधिकार है। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आदेश 15 व 19 के तहत काश्तकारी अधिकार देने का प्रावधान तथा खातेदारी घोषणा का दावा सहायक कलक्टर के क्षेत्राधिकार में निहित है। उप निवेशन के पास 88 के तहत खातेदारी घोषणा का अधिकार नहीं है। दिनांक 18.01.2013 में उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पोकरण ने इस बाबत को स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के गांव राजस्व में आते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व वाद की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध होने से प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन आराजी उप निवेशन क्षेत्र मे है या नहीं इस बाबत नोटिफिकेशन जारी हुआ या नहीं स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतिक्रमण के आधार पर राजकीय भूमि पर खातेदारी नही दी जा सकती है। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजी उप निवेशन क्षेत्र में आती है या राजस्व में इस बात का स्पष्ट उल्लेख या अधिसूचना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा "पत्रांक 85 दिनांक 18.01.2013 के द्वारा जिला कलक्टर जैसलमेर से पांचो गांव जिसमें नोख भी शामिल है को उपनिवेशन हेतु नोटिफिकेशन में शामिल थे बाद में यहां नहरी पानी पहुंचने की संभावना नहीं प्रतीत होने पर इन गांवों को राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया लेकिन इस बाबत नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिससे यह असमजस की स्थिति बनी हुई है।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले को तकनीकी बिंदुओं पर खारिज करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित नहीं है। अतः इन सब तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को रिमाण्ड करना उचित होगा ताकि उसे अधीनस्थ न्यायालय में अपने कथनों को बाद मौका सत्यापन सिद्ध कराने का अवसर मिल सके।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2014 बअनवान बजरंगसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.01.2014 को अपास्त करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त ऑब्जर्वेशन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलांट/वादी द्वारा जिस भूमि को लेकर दावा किया गया है उस भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर यदि राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है तो गुणावगुण पर और यदि उप निवेशन के क्षेत्र में आती है तो सी पी सी के प्रावधानों के तहत निर्णय पारित करे।

03/12/19
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03/12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner